रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D (DP)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 569] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 26, 1978/पौष 5, 1900
No. 569] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 26, 1978/PAUSA 5, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली 26 दिसम्बर, 1978

का० आ. 735 (अ).—भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं. का. आ. 14(अ) तारीख 3 जनवरी, 1974 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है), द्वारा मैसर्स हिन्द साइकिल लिमिटेड, मुम्बई के गाजियाबाद एकक नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध 2 जनवरी, 1979 जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, तक की अवधि के लिए ग्रहण कर लिया था ;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि यह लोक हित में है कि उक्त आदेश दो वर्ष की और अवधि तक प्रभावी बना रहे ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 18 क की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 2 जनवरी, 1981 जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, तक की और अवधि तक प्रभावी बना रहेगा ।

[फा. सं. 2/16/73-सी.यू.सी.]

पी. सी. नायक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 26th December, 1978

S. O. 735(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S. O. 14(E) dated the 3rd January, 1974 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the industrial undertaking known as the Ghaziabad unit of Messrs. Hind Cycles Limited, Bombay, had been taken over for a period upto and inclusive of the 2nd January, 1979;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is in the public interest that the said Order should continue to have effect for a further period of two years;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 2nd January, 1981.

[F. No. 2/16/73-CUC]

P. C. NAYAK, Joint Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978